2016/00170

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः नरेन्द्र गुप्ता , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 190/2016 (अपील)

उनवान

1. पुष्पदयाल पुत्र सदाशिव
2. महावीर पुत्र सदाशिव
3. मनोज कुमार पुत्र सदाशिव
4. शिवप्रसाद पुत्र उमाशंकर जाति धाकड निवासीगण कुराडिया तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

(अपीलाण्टान)

बनाम

1. मन्जू बाई पत्नी हंसराज
2. रोशन बाई पत्नी प्रेमराज जाति मीणा निवासीगण ग्राम डंडिया तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज0)

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री रामप्रसाद नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 टी0 एक्ट 1955
बनाराजगी आदेश दिनांक 23.05.2016
न्यायालय तहसीलदार सांगोद,
प्रकरण संख्या 2/2016 शिवप्रसाद बनाम मन्जूबाई, रोशनबाई
अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 08.11.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा के आदेश दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अपीलान्टान द्वारा अपने खाते व कब्जे काश्त की ग्राम डंडिया तहसील सांगोद मे स्थित कृषि भूमियों पर कृषि कार्य हेतु आवागमन करने का ग्राम कुराडिया खुर्द से ख0 नं0 132 गैर मुमकिन आम रास्ते तक रेस्पो0/ अप्रार्थीगण द्वारा कुछ पत्थर डालकर बन्द कर देने पर उक्त पुराने रास्ते को खुलासा कराने हेतु तहसीलदार सांगोद को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर पंचायत कुराडियाखुर्द द्वारा कोई कार्यवाही ना करने पर तहसीलदार सांगोद द्वारा उक्त रास्ते के संबंध मे हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब कर रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 20.05.2016 को न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त रास्ते को मौके पर बहाल कर पक्षकारों की सहमति के आधार पर पूर्ववत रास्ता खुलासा कराने हेतु नायब तहसीलदार सांगोद को आदेशित भी किया गया, किन्तु इसके बाद दिनांक 23.05.2016 को रेस्पो0 की ओर से उनके रास्ते की वादग्रस्त भूमि ख0 नं0 135 ग्राम डंडिया के संबंध मे अपीलांटान के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद मे धारा 188 राज0 टी0 एक्ट का वाद पत्र विचाराधीन होना बताकर वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति कायम रखे जाने का अन्तरिम स्थगन आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 राज0 टी0एक्ट के प्रकरण मे भी उक्त आदेश को प्रभावी

होना मानकर उक्त रास्ता खुलासा करने की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है । उक्त आज्ञा को अप्रसन्नता से ही अपीलांटान ने अपील प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय धारा 251 राज0 टी0 एक्ट के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 188 राज0 टी0 एक्ट के वादपत्र के अन्तर्गत उक्त भूमि रास्ता कायम होने संबंधित सुखाधिकार का प्रश्न निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को न होते हुये भी तथा उक्त आदेश एवम् वाद पत्र मे तहसीलदार सांगोद भूमि धारक पक्षकार न होते हुए भी उक्त एक पक्षीय अन्तरिम आदेश को उक्त प्रकरण मे भी प्रभावी होना मानकर धारा 251 राज0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत निर्णय की स्टेज पर विचाराधीन पत्रावली की कार्यवाही स्थगित रखने की आज्ञा दे दी है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है । रेस्पो0 व उनके परिवारजन पतियों द्वारा मौके पर विवादित भू–भाग पर पुराना रास्ता होना थानाधिकारी सांगोद व सी0एल0जी0 सदस्यों के समक्ष भी राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया हुआ है तथा हल्का पटवारी द्वारा भी मौके पर ख0 नं0 135 की 2.29 है0 भूमि की पश्चिमी मेड पर पुराना रास्ता ख0 नं0 138 की भूमि से ख0 नं0 132 की गैरमुमकिन रास्ते तक कई वर्षो से मौजूद होना बताकर दिनांक 20.10.2015 को उक्त रास्ता बहाल भी करवा दिया है, इसके बावजूद भी धारा 251 रा0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत अपीलान्टान के सुखधिकार के रूप मे प्रयोग मे लाये जा रहे उक्त रास्ते को केवल धारा 188 राज0 टी0 एक्ट के वाद पत्र मे पारित एक पक्षीय अन्तरिम आदेश के मुताबिक स्थगित कर निर्णित किया जाना सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । जबकि धारा 251 राज0 टी0 एक्ट का प्रकरण मेरिट्स पर निर्णित किये जाने योग्य है । उक्त रास्ता तुरन्त बहाल नही किये जाने से अपीलांटान की कृषि भूमियों रास्ते के अभाव मे पडत रह जाने की आशंका है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 23.05.2016 से दिनांक 26.05.2016 तक मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2016 निरस्त कर तहसीलदार सांगोद को उक्त प्रकरण धारा 251 राज0 टी0 एक्ट के प्रावधानों मुताबिक निर्णय करने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 राज0 टीनेन्सी एक्ट की कार्यवाही स्थगित करने मे त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2016 निरस्त कर तहसीलदार सांगोद को उक्त प्रकरण धारा 251 राज0 टी0 एक्ट के प्रावधानों मुताबिक निर्णय करने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया गया ।

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का लिखित बहस प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि अपीलान्टान द्वारा यह अपील तहसीलदार सांगोद के आदेश दिनांक 23.05.2016 की अप्रसन्नता से प्रस्तुत की गयी है जो उक्त आदेश अन्तिम आदेश नही है । बल्कि एक अन्तरिम आदेश है । केवल अन्तिम आदेश (फाईनल आर्डर) के विरूद्व अपील करने का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत है । उपखण्ड अधिकारी सांगोद के न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद विचाराधीन है उसमें अपीलाटांन के विरूद्व अपील विषयक आराजी बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा वर्तमान मे भी प्रभावशील है । रेस्पो0 के खाते व कब्जे की खसरा नं0 135 की कृषि आराजियात ग्राम डन्डिया तहसील सांगोद मे स्थित है । ग्राम डन्डिया तहसील सांगोद की खसरा नं0 134,135,136,137 आराजी मे पूर्व मे कभी कोई रास्ता कायम नही रहा है । अपीलान्टान ने उपरोक्त भूमि को कभी भी रास्ते के रूप मे उपयोग मे नही लिया है ।

अपीलांटान ने उपरोक्त भूमि को कभी रास्ते के रूप मे उपयोग मे नही लिया है । अपीलान्टान की भूमि ग्राम डन्डिया तहसील सांगोद मे स्थित नही है । अपीलान्टान की आराजी ख0 नं0 47 व 48 की भूमि आने जाने का रास्ता ख0 नं0 132 की भूमि मे होकर है जो सिवाय चक भूमि है । ख0 नं0 132 की भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज है । अपीलान्टान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र सर्वथा गलत एवं झूठें तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पोषनीय नही है । थानाधिकारी द्वारा मारपीट करने एवं थाने मे बन्द करने की धमकी देकर जबरदस्ती सहमति प्राप्त की गई थी इस कारण तथाकथित सहमति अवैध एवं प्रभावशून्य है । जिसे कानूनन कार्यवाही का आधार नही बनाया जा सकता है । : अपील अपीलान्टान सारहीन होने से अपील अपीलाण्ट खारिज करने का निवेदन किया गया।

6 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार सांगोद द्वारा दिनांक 23.05.2016 को पारित आदेश के विरूद्व की गई है । दिनांक 23.05.2016 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद में विवादित आराजी एक ही होने व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद में प्रकरण विचाराधीन होने से निर्णय उपरान्त पालना हेतु पेश करने का आदेश दिया गया था। दिनांक 23.05.2016 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नही किया गया । अतः चूंकि उक्त दिनांक 23.05.2016 को एक अन्तरिम आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्व अपील चलने योग्य नही है । इसके अलावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद मे विवादित आराजी बाबत नियमित वाद विचाराधीन है । जिसमें पक्षकार के हित निर्धारित होगे । अतः ऐसी स्थिति मे भी अपीलांट की अपील चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 08.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा